अपील प्र.सं. 113/2012 अन्तर्गत 212आरटीएक्ट
ईशरराम बनाम भागीरथ आदि

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए |
|---|---|---|
| 05.01.2021 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता दुलाराम पुत्र मामराज के नाम से चक 4 एमएसडी तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत 2067–70 की खतौनी सं. 28/16 का मु.नं. 4 प.नं. 150/337 में 1.204है. बारानी तथा मु.नं. 10 प.नं. 151/338 में 4.985है. बारानी मय खाला कुल तादादी 6.189है. बारानी नहरी खातेदारी भूमि थी। प्रार्थी के पिता ने अपने जीवनकाल में अपनी उपरोक्त स्व अर्जित भूमि को अपने होश हवास में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 3 सत्यनारायण को जरिए वसीयत की हैं। उक्त वसीयत प्रार्थी के पिता दुलाराम ने अपने पास रखा हुआ था लेकिन जब उनकी मृत्यू हो गयी तो अप्रार्थी सं. 1–2 ने उस वसीयतनामा को गुम कर दिया जिस कारण उसका इंतकाल नहीं हो सका तथा उपरोक्त तमाम भूमि का विरास्तन इंतकाल प्रार्थी तथा अप्रार्थी सं. 1 ता 7 के नाम दर्ज करवा लिया जो शुरू से ही प्रभावहीन तथा शून्य हैं। प्रार्थी को बतौर वसीयत 6.13 बीघा तथा शेष विरास्तन प्राप्त 1/7 भूमि पर प्रार्थी कब्जा काश्त करता आ रहा हैं। इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जाती हैं तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः न्यायालय द्वारा जारी निषेधाज्ञा को मूल वाद निर्णय तक कन्फर्म करने हेतु निवेदन किया।<br>वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त वादगत भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हैं किसी खातेदार टिनेंट के विरूद्ध निषेधाज्ञा पारित करना न्यायसंगत नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाकर पूर्व जारी निषेधाज्ञा को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।<br>पत्रावली का अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का कितना हिस्सा यह निर्णय मूल वाद में वाद बिन्दू कायम कर साक्ष्य के आधार पर किया जाना हैं। प्रार्थी द्वारा वसीयतनामा की प्रतियां पेश की गयी हैं जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता हैं। यदि प्रकरण में निषेधाज्ञा पारित नहीं की जाती हैं तो उक्त भूमि अप्रार्थीगण द्वारा विक्रय कर देने पर अनावश्यक मुकदमेबाजी [illegible] जिससे अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण की अपेक्षा प्रार्थी को होने की सं[illegible]<br>लिहाजा उक्त विवेच[illegible] प्रार्थना [illegible] प्रार्थी स्वीकार किया जाकर [illegible] निषेधाज्ञा दिनांक 21.06.2012 को मूल [illegible] तक कन्फर्म किया जाता हैं। आदेश सुनाया गया। पत्रावली [illegible]ले में शुमार होकर मूल वाद संलग्न रहे।<br><br>(अर्पिता सोनी)<br>उपखण्ड अधिकारी राजस्व<br>रायसिंहनगर | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.01.14 16:09:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner